यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 58 / 2021

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. चानणमल पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. लीलाधर पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 15/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायल की रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 175 / 17 के प० नं० 364 / 381 (64) के किला नं. 1 ता 5 व 9 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि जिसमें से किला नं. 1 / 2, 2 / 2, 3 / 2 व 4 / 2 प्रत्येक में 0.0380 है० गै० मु० रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

करीब 60 वर्ष पूर्व नोहर से सिरसा सड़क बनने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त मुरब्बा नं. 64 के रास्ता का कोई औचित्य नहीं रहा है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 4 का खेत 6 जेएसएन के खाता संख्या 125 / 125 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.5424 है0 भूमि नहर के सटे होने के कारण से गैरसायल नहर से होते हुए अपने खेत में आवागमन करते है तथा 6 जेएसएन के खाता संख्या 65 / 65 के प0 नं0 363 / 380 (62) के किला नं. 5 / 1 में रास्ता स्वीकृत था जो पहले ही निरस्त हो चुका है लेकिन सायल की अज्ञानता के कारण से उसके खेत मु0 नं. 64 में स्थित रास्ता को रिकार्ड में दुरूस्त नहीं करवाया है इसलिए सायल खाता संख्या 175 / 17 प0 नं0 364 / 380 (64) के किला नं. 3 मिन उत्तर पश्चिम कोना 0.001, किला नं. 2 मिन उत्तर 0.013 व किला नं. 1 मिन उत्तर 0.013 है0 भूमि में रास्ता रखा जाकर शेष गैर मुमकिन भूमि को मुमकिन दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है। गैरसायलान का खेत के नहर सटे होने के कारण गैरसायलान नहर से ही आना–जाना करते है तथा इसके अलावा सायल के चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 177 / 17 के प0 नं. 364 / 380 (61) के किला नं. 13 / 2, 18 / 2 व 23 / 2 प्रत्येक की .013 है0 भूमि में रास्ता है उक्त रास्ता नोहर से सिरसा मार्ग से होते हुए जाता है तथा गैरसायलान अपने खेत में जाने के लिए नहर होकर जाने के अलावा उक्त रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है। सायल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 58 / 2021

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. चानणमल पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. लीलाधर पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायल की रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 175 / 17 के प० नं० 364 / 381 (64) के किला नं. 1 ता 5 व 9 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि जिसमें से किला नं. 1 / 2, 2 / 2, 3 / 2 व 4 / 2 प्रत्येक में 0.0380 है० गै० मु० रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

करीब 60 वर्ष पूर्व नोहर से सिरसा सड़क बनने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त मुरब्बा नं. 64 के रास्ता का कोई औचित्य नहीं रहा है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 4 का खेत 6 जेएसएन के खाता संख्या 125 / 125 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.5424 है0 भूमि नहर के सटे होने के कारण से गैरसायल नहर से होते हुए अपने खेत में आवागमन करते है तथा 6 जेएसएन के खाता संख्या 65 / 65 के प0 नं0 363 / 380 (62) के किला नं. 5 / 1 में रास्ता स्वीकृत था जो पहले ही निरस्त हो चुका है लेकिन सायल की अज्ञानता के कारण से उसके खेत मु0 नं. 64 में स्थित रास्ता को रिकार्ड में दुरूस्त नहीं करवाया है इसलिए सायल खाता संख्या 175 / 17 प0 नं0 364 / 380 (64) के किला नं. 3 मिन उत्तर पश्चिम कोना 0.001, किला नं. 2 मिन उत्तर 0.013 व किला नं. 1 मिन उत्तर 0.013 है0 भूमि में रास्ता रखा जाकर शेष गैर मुमकिन भूमि को मुमकिन दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है। गैरसायलान का खेत के नहर स[illegible] नहर से ही आना–जाना करते है तथा इसके अलावा सायल के चक 6 जेएसएन [illegible] संख्या 177 / 17 के प0 नं. 364 / 80 (61) के किला नं. 13 / 2, 18 / 2 व 23 / 2 प्रत्येक की .013 है0 भूमि में रास्ता है उक्त रास्ता नोहर से सिरसा मार्ग से होते हुए जा[illegible] है तथा गैरसायलान के अपने खेत में जाने के लिए नहर होकर जाने के अलावा उक्त रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है। सायल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 9 ने खाता संख्या 177 / 17 के विभाजन के वक्त प0 नं0 364 / 380 (61) के किला नं. 13 / 2, 18 / 2 व 23 / 2 प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता छोड़ा हुआ है तथा सायल के खेत खाता संख्या 175 / 17 के प0 नं0 364 / 380 (64) के किला नं. 3 मिन उत्तर पश्चिम कोना 0.001, किला नं. 2 मिन उत्तर 0.013 व किला नं. 1 मिन उत्तर 0.013 है0 में से होते हुए गैरसायलान अपने खेत में प्रवेश कर जाते है। गैरसायलान काफी तेज तर्रार व्यक्ति है जिनके मन में लालच आ गया है तथा जबरदस्ती सायल के खेत में बनी ढाणी के पास खडी फसल में के रास्ता बनाने के प्रयास में है तथा गैरसायल सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत किला नं. 1 ता 5 में 0.0380 है0 चौडा रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि गैरसायल नहर के रास्ते से या फिर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा खाता संख्या 177 / 17 में छोड़े गये रास्ता से आवागमन करे तथा सायल के खेत में प्रवेश ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की उक्त रास्ता से अप्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करता है मु0न0 64 में उक्त रास्ता चालु है एवं प्रार्थी जिसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा पहले यह रास्ता बंद कर दिया गया था जिससे पुलिस की सहायता से चालु करवाया गया था प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थ्र्ना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता वकील सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि करीब 60 वर्ष पूर्व नोहर से सिरसा सड़क बनने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त मुरब्बा नं. 64 के रास्ता का कोई औचित्य नहीं रहा है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 4 का खेत 6 जेएसएन के खाता संख्या 125 / 125 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.5424 है0 भूमि नहर के सटे होने के कारण से गैरसायल नहर से होते हुए अपने खेत में आवागमन करते है तथा 6 जेएसएन के खाता संख्या 65 / 65 के प0 नं0 363 / 380 (62) के किला नं. 5 / 1 में रास्ता स्वीकृत था जो [illegible] निरस्त हो चुका है लेकिन सायल की अज्ञानता के कारण से उसके खेत [illegible] रिकार्ड में दुरूस्त नहीं करवाया है इसलिए सायल खाता संख्या 175 / 17 प0 [illegible] 364 / 380 (64) के किला नं. 3 मिन उत्तर पश्चिम कोना 0.001, किला नं. 2 मिन उत्तर 0.013 व किला नं. 1 मिन उत्तर 0.013 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में रास्ता रखा जाकर शेष गैर मुमकिन भूमि को मुमकिन दर्ज करवाने का अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता को चालु करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि रास्ता बंद है अत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता से अप्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करता है मु0न0 64 में उक्त रास्ता चालु है एवं प्रार्थी जिसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा पहले यह रास्ता बंद कर दिया गया था जिससे पुलिस की सहायता से चालु करवाया गया था प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त रास्ता गैरमुमकिन दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है गै0मु0 रास्ता बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है इसलिए प्रथम दृष्टया मामल अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा हरजी के नाम भूमि दर्ज कैसे दर्ज हुई बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है एवं न ही वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज पेश किया है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....15/01/26.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:03 IST
Reason: SelfAttested